

भारतीय ज्ञान परंपरा

संस्कृति, दर्शन, शैक्षिक विचारधाराएँ और नवाचार

सम्पादक :

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

भारतीय ज्ञान परंपरा :

संस्कृति, दर्शन, शिक्षा विचारधाराएँ और नवाचार

सम्पादक :

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

Ph.D., D.Lit. (Sub.)

निदेशक, कॉम्पिटिशन प्लस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन,
अजमेर

छवि पब्लिकेशन्स

अजमेर-305001

प्रकाशक :

छवि पब्लिकेशन्स

अजमेर-305001

मो. 9660111549

संस्करण :

प्रथम 2022-2023

ISBN : 978 - 81 - 89435 - 64 - 6

मूल्य - 300/-

रचना - भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

सम्पादक - डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

मुद्रक - श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स, अजमेर

16. उपनिषदों में नारी मीमांसा

रत्ना गौड़

सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग)

हुकुमचन्द नोबेल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वह सभी दृष्टियों से पुरुषों के समान थी। पुरुषों की भांति उनका भी उपनयन संस्कार होता था और वे ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश कर उच्चतम आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करती थी। इस काल में हमें अनेक ऐसी विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं का प्रणयन किया था। इनमें लोपामुद्रा, विश्वधारा, अपाला, काक्षीवती, घोषा, सिकता, निवावरी, रोमशा तथा उर्वशी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। शिक्षा, ज्ञान और विद्वता के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि याज्ञिक कार्यों में भी वे अग्रणी थी। उपनिषदों में भी अनेक ऐसी विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं जो दर्शन, तत्त्वज्ञान और तर्क में निपुण थी। बृहदारण्यक उपनिषद् में विदेहराज जनक की राजसभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच शास्त्रार्थ का उल्लेख मिलता है जिसमें गार्गी ने याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान महापुरुष को भी अपने गूढ़ प्रश्नों से मूक कर दिया था। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी अत्यन्त विदुषी और ब्रह्मवादिनी महिला थी।

उपनिषदों में अनेक स्थलों पर भारद्वाज, गार्ग्य, आश्वलायन, भार्गव, कात्यायन, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप आदि ऋषियों के नाम पर गोत्रों की चर्चा की गयी है। कालान्तर में इन्हीं ऋषियों के नाम पर वंशगत गोत्र का विकास हुआ। किन्तु इस युग में गोत्र का विशेष महत्व यज्ञ तथा शिक्षा कार्य में ही रहा है। वैदिक साहित्य में नवविवाहिता के लिए 'वधू' शब्द का उल्लेख इस बात की पुष्टि करता है कि साधारणतया सगोत्र विवाह का प्रचलन नहीं था।

बृहदारण्यक उपनिषद् यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें भारतीय इतिहास के उस स्वर्णिम काल का अंकन हुआ है जिसमें स्त्रियाँ ऋषिकाओं की उच्चा प्राप्त करतीं और अध्यात्म विषयक शास्त्रार्थों में भाग लेती थीं। वाचकनवी गार्गी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विषयक प्रश्न पूछे, और वह पूछती रही जब तक कि याज्ञवल्क्य ने उसे परमसत्ता का रहस्य नहीं बता दिया। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद में मैत्रेयी ने जो कुछ कहा है, वह विश्व

का सबसे उदात्त स्त्री-कथन है। उसने कहा कि क्या सारी वसुन्धरा मेरी हो जाने पर भी मुझे अमृतत्व प्राप्त हो सकेगा।

छान्दोग्य उपनिषद् सामवेदीय उपनिषद् है। इसके प्रथम दो अध्यायों में विवाह-विधान का विस्तार है, जिससे तत्कालीन स्त्री-समाज की स्थिति ज्ञात होती है। प्रथम सर्ग के दूसरे सूक्त में संतति के लिए प्रार्थना है, तृतीय सूक्त में वर-वधू की यह वचन बद्धता है कि हम दोनों के हृदय एक हो जायें। इस प्रकार दोनों की एकता व्यक्त की गयी है। चौथे-पाँचवें सूक्तों में देवताओं से दम्पति की मंगल कामना की गई है।

वृहदारण्यकोपनिषद् में गार्गी-याज्ञवल्क्य संवाद से स्पष्ट है कि वैदिक युग में स्त्रियाँ ब्रह्मविद्या में प्रवीण होती थीं। वे शिक्षा की विभिन्न शाखाओं तथा शारीरिक व आध्यात्मिक आदि का ज्ञान प्राप्त करती थीं।

वृहदारण्यकोपनिषद् में माता-पिता द्वारा विदुषी पुत्री के जन्म की कामना की गयी है।

मातृपूजा को वैदिक युग में जो महत्व प्राप्त हुआ वह अपनी जगह पर आज भी स्थिर है। केनोपनिषद् (3/12) में कहा गया है कि देवताओं के ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति उमाहैमावती से प्राप्त हुआ। वेदमाता गायत्री भी पुरुष नहीं है। वाग्देवी भी नारी-शक्ति का ही बोध कराती है। ऋग्वेद का श्रीसूक्त मातृ-पूजा की भावना का प्रमाण है। जैसा कि आगे कहा गया, पुरुष ने अपने को दो भाग कर दिया। दूसरा भाग 'नारी' बनी। वह परा-शक्ति पुरुष के सहयोग से सारी सृष्टि की माँ बनी।

तैत्तिरीय उपनिषद् के अनुसार आचार्य, शिक्षा समाप्त होने पर ब्रह्मचारी को माता की देवता की तरह पूजा करने के लिए उपदेश देता था।

पत्नी के लिए 'भार्या' शब्द ऐतरेय ब्राह्मण और बृहदारण्यकोपनिषद् के समय से ही प्रचलित है। गृहिणी के रूप में जाया, जनि और पत्नी प्रचलित थी। पति का प्यार पाने वाली 'जाया' सन्तान की माता 'जनी' या 'जनि', और पति को सहकर्मिणी 'पत्नी', ये तीनों एक ही भार्या की विभिन्न अवस्थाओं के नाम थे।

परिवार अथवा कुल सामाजिक जीवन की इकाई ही नहीं बल्कि आधारशिला है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सम्पूर्ण अवस्था पारिवारिक संगठन के अन्तर्गत संचालित होती है।

समाज में मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, जो परिवार के माध्यमों से पूरी की जाती हैं। कामेच्छा की पूर्ति, सन्तान को जन्म देना और उनका पालन-पोषण करना आदि विभिन्न व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य परिवार के ही माध्यम से संभव हैं। परिवार संस्था का उद्भव और विकास इसी आधार पर हुआ है।

अतः धर्म-सम्पादन, सन्तानोत्पत्ति और रति-सुख आदि विवाह के प्रमुख प्रयोजन

कहे गए हैं।

आर्य यह मानते थे कि नारी पूर्ण सम्मान और स्नेह की अधिकारिणी है। वह इसलिये अर्धाङ्गिनी है कि सृष्टि के आरंभ में एक ही पुरुष था जो अपनी इच्छा से आधा नारी बना। वह जाया इसलिये है कि उसके गर्भ में पति अपने को प्रतिष्ठित करके पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करता है, वह गृहिणी इसलिये है कि गृह को उसने धारण कर रखा है। इस सारी बातों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य-परिवार में नारी का प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान था। विघटनकारी तत्वों, जिनसे परिवार टूटते हैं, का दमन नारी ही अच्छी तरह कर सकती है, ऐसा आर्यों का सकारण विश्वास था, भ्रान्तिरहित धारणा थी। माता-पिता आदि वृद्धों के प्रति देव-भाव रखा जाता था- 'मातृदेवी भव, पितृदेवो भव' ऐसी शिक्षा उपनिषदों के ऋषियों ने उन्हें दी थी। बुद्धदेव ने भी (महानिब्बानसुत्त-4) में यही कहा था-“याव किवञ्च आनन्द, वज्जी थे ने वज्जीनं वज्जी महल्लका, ते सबकरिस्सन्ति गुरुकरिस्सन्ति मानोस्सन्ति पूजेस्सन्ति तेसं च सोतब्बं मज्झिस्सन्ति बुद्धियेव आनन्द, वज्जीनं पाटिकंडा नो परिहानि।” (जब तक कि वज्जी अपने वृद्धों (महल्लक) का सत्कार करते हैं, गुरु मान कर उनकी पूजा करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं (तब तक वे अजेय हैं))।)

बृहदारण्यकोपनिषद् में पुत्र उत्पन्न करना यज्ञ माना गया है। यही कारण है कि स्त्रियों के शरीर की उपमा वेदी से दी गई है। पुत्रोत्पत्ति की महत्ता को ध्यान में रखते हुए स्त्री प्रशंसा के उद्धरण में मनु ने विवाह के उद्देश्य को स्पष्ट किया है। उसके अनुसार पिता-पुत्र से स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त करता है, पौत्र से उन लोकों में आजीवन निवास करता है तथा प्रपौत्र से सूर्य लोक को प्राप्त करता है।

इस काल में स्त्रियां बिना परदे के स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण करती थी। वे पुरुषों की भांति सामाजिक और धार्मिक समारोहों एवं उत्सवों तथा सभा और विचार गोष्ठियों में बिना किसी प्रतिबन्ध के सम्मिलित होती थी और विचारों का आदान-प्रदान करती थी। ऐसे समारोहों तथा उत्सवों में उनका सम्मिलित होना स्वागत योग्य माना जाता था। इस काल में स्त्रियों को अपना जीवन साथ चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। विवाह प्रायः पूर्ण वयस्क होने पर किया जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में विवाह के अवसर पर कन्या को सास, श्वसुर, ननद और देवर आदि पर सम्राज्ञी के रूप में शासन करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन यहां सम्राज्ञी से तात्पर्य कठोरता और आदेश से नहीं था अपितु वह स्नेह, सेवा, न्याय और उदार चित्त से परिवार का शासन करती थी। वह पुरुष की सहधर्मिणी तथा अर्धाङ्गिणी मानी जाती थी। धार्मिक कार्यों उसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। पत्नी के बिना कोई भी पुरुष यज्ञ का अनाधिकारी कहा गया है। इस काल में न केवल पत्नी को पति के साथ धार्मिक कृत्यों में भाग लेने का अधिकार था

अपितु वह पति के बिना भी स्वयं धार्मिक कृत्य कर सकती थी। समाज में विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा का प्रचलन था जिससे उनकी सामाजिक स्थिति ठीक थी। सती प्रथा, बालविवाह तथा पर्दाप्रथा जैसी कुरूपियों का समाज में प्रचलन नहीं था। वास्तव में इस काल में समाज में स्त्रियों का जितना अधिक मान, सम्मान और उच्च स्थान था उतना परवर्ती किसी काल में नहीं रहा।

इसलिए स्त्रियों को विशेष रूप से वैदिक साहित्य की शिक्षा प्रदान की जाती थी ताकि वह धार्मिक क्रियाओं में अपने पति के साथ भाग ले सके। उपनिषदों में भी अनेक ऐसी विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं जो दर्शन, तत्त्वज्ञान और तर्क निपुण थी। बृहदारण्यक उपनिषद् में विदेहराज जनक की राजसभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच वाद-विवाद का वर्णन मिलता है जिसमें गार्गी ने अपनी अद्भूत प्रतिभा, विलक्षण तर्कशक्ति, मेधा और सूक्ष्म विचार तन्तुओं से दुरूह प्रश्नों की बौछार करके याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान महापुरुष को मूक कर दिया था। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी अत्यन्त विदुषी और ब्रह्मवादिनी महिला थी जो सांसारिक मोह-माया से दूर रहकर आध्यात्मिक चिन्तन में लीन रहती थी। इसके साथ-साथ उपनिषदों में कुछ ऐसी विशिष्ट क्रियाओं का उल्लेख मिलता है जिसे लोग विदुषी कन्याओं को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना से करते थे। ये उद्धरण इस बात के प्रमाण हैं कि वैदिक काल में स्त्रियां पुरुषों के समान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी और बिना किसी भेदभाव के उच्चतम बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करती थी।

बृहदारण्यकोपनिषद् के अनुसार न केवल परदा का अभाव था, बल्कि स्त्रियों को सभाओं में बोलने का अधिकार था। राजा जनक की सभा में गार्गी द्वारा याज्ञवल्क्य से दर्शन विषय में अनेक प्रश्न पूछने का उल्लेख है।

उपनिषद् युग तक जो स्त्रियां दार्शनिक विषयों के अध्ययन एवं चिन्तन में पर्याप्त ख्याति प्राप्त करने लगी थीं। उपनिषदों में ही गार्गी आदि विदुषी स्त्रियों का नाम और मैत्रेयी जैसी आध्यात्मिक विदुषियों का उल्लेख किया गया है जिससे स्पष्ट होता है 'माता-पिता केवल विद्वान पुत्र की कामना न करके, विद्वान् पुत्रियों की भी कामना करते थे।' बृहदारण्यक उपनिषद् में विदुषी (पंडिता) कन्या प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठानों की योजना का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ही याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक ज्ञान के लिए उत्सुक दिखाई देती है।

वैदिक काल में कुछ स्त्रियों के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने अथवा गृहस्थ जीवन का किसी कारणवश परित्याग कर संन्यासिनी के रूप में विचरण करने के संकेत मिलते हैं। कतिपय ब्रह्मज्ञानी विदुषी स्त्रियों जैसे, गंधर्व-गृहीता, गार्गी, आदि को संन्यासिनी के रूप में स्वतन्त्र विचरण करते हुए देखा जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण में

सोलह-सत्तरह वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्या को सद्योवधू तथा आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में ही याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की रुचि सांसारिक सुख-भोग के प्रति न होकर आध्यात्म चिन्तन में बताई है। याज्ञवल्क्य द्वारा परिव्राजक होने का निश्चय करके अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी में बांटने के प्रस्ताव पर मैत्रेयी को यह कहते पाया जाता है कि यदि धनधान्य से युक्त सम्पूर्ण पृथ्वी भी उसे प्राप्त हो जाये, तो उससे वह अमृतत्व कैसे प्राप्त कर सकती है। अतः वह याज्ञवल्क्य से ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा व्यक्त करती है।

□□□